केवल विभागीय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1976-77

निदेशालय

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान–बीकानेर

-544
370.6
RAJ-V

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

राजस्थान: सामान्य परिचय एवं भौगोलिक स्थिति

भारत के मानचित्र में पश्चिम दिशा में किनारे पर २३° ३ और ३०° १२ उत्तरी अक्षांश तथा ६९ ३० और ७८ ७ पूर्व देशान्तर के बीच स्थित राजस्थान राज्य की स्थापना २३ देशी रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप हुई थी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल ३,४२,२१४ वर्ग किलोमीटर है जो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के पश्चात् द्वितीय स्थान पर आता है। इस राज्य का आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान में २६ जिले हैं, जो परस्पर समान होते हुए भी काफी असमान है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ही नहीं वरन् एशिया का भी सबसे बड़ा जिला है। दूसरी ओर डूंगरपुर राज्य का ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल राज्य में सबसे कम है।

१९७१ की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या २५७.६६ लाख है। इसमें से १३४.८४ लाख पुरुष तथा १२२.८२ लाख महिलाएं हैं। जनसंख्या का घनत्व ७५ व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। घनत्व के संबंध में भी जिला स्तर पर व्याप्त विभिन्नता है। उदाहरण हेतु जैसलमेर में प्रति किलोमीटर ४ व्यक्ति, घनत्व पाया जाता है जबकि भरतपुर में यह १८४ व्यक्ति प्रति किलोमीटर है।

राज्य में कुल जनसंख्या का ८२.३७ भाग ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तथा १७.६३ भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। साक्षरता का प्रतिशत १९.०७ है जिसमें से २८.८४ प्रतिशत पुरुष एवं ८.४६ प्रतिशत महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत ४३.४७ है और ग्रामीण क्षेत्र में १३.८५ प्रतिशत। उक्त आंकड़ों से दृष्टिगोचर होता है कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की तुलना में अध्ययन के प्रति रुझान अधिक है। अनुसूचित जाति व जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः ६.१४ एवं ६.४७ रहा है।

NIEPA DC
D01871

- 544
370.6
RAJ-Y

Unit,
onal
110016
1871
26-11-89

राजस्थान राज्य में कुल २६ जिले, २३२ पंचायत समितियां, १५७ कस्बे । शहर तथा ३३३०५ आबाद एवं २४६० गैर आबाद गांव हैं ।

राजस्थान में वर्ष १९७६-७७ में ६-११, ११-१४ तथा १४-१७ आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या तथा इसी आयु वर्ग के छात्र। छात्राओं का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

सारणी- १

(लाखों में)

आयुवर्ग	अनुमानित जनसंख्या			जाने वालों की संख्या		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
६-११	२१.७५	१९.६५	४१.४०	१८.०९	५.८६	२३.९५
११-१४	११.७६	१०.८८	२२.६६	४.७७	१.१२	५.८९
१४-१७	१०.६१	९.७५	२०.३६	२.४२	०.५०	२.९२

०- स्रोत : रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार

शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप

(क) मुख्यालय स्तर पर

राज्य में शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालय शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व, निदेशक महाविद्यालय शिक्षा को तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का उत्तरदायित्व निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को सौंपा गया है । निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है ।

वर्ष १९७६-७७ में विभागाध्यक्ष निदेशक पद पर श्री इन्द्रजीत खन्ना रहे । श्री खन्ना इस पद पर दिनांक १-२-७५ से कार्यरत हैं तथा उन्हें कार्य को सुचारू रूप से निष्पादित करने में निम्न अधिकारी सहायता प्रदान करते रहे हैं :-

- अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
- संयुक्त निदेशक,
- उपनिदेशक (माध्यमिक)
- उपनिदेशक (प्राथमिक)
- उपनिदेशक(समाज शिक्षा)

(६) उपनिदेशक (सांख्यिकी)

(७) उपनिदेशक (सामान्य प्रशासन)

(८) उपनिदेशक (वरिष्ठ) योजना

(९) वरिष्ठ लेखाधिकारी

(१०) सहायक निदेशक (अल्प बचत)

(११) सहायक निदेशक (समाज शिक्षा)

(१२) जिला शिक्षा अधिकारी ([illegible] अल्पसंख्या)

(१३) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (वरिष्ठता)

(१४) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (शिक्षा प्रशिक्षण)

(१५) जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)

(१६) लेखाधिकारी

(१७) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विधि)

(१८) उप जिला शिक्षा अधिकारी (संस्थापन)

(१९) उप जिला शिक्षा अधिकारी (अनुदान)

(२०) उप जिला शिक्षा अधिकारी (विभागीय परीक्षाएं)

(२१) उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा)

(२२) सहायक लेखाधिकारी (३)

(२३) सम्पादक विभागीय पत्रिका

(२४) निजी सहायक, निदेशक महोदय

(२५) प्रशासनिक अधिकारी (योजना)

(ब) क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन का स्वरूप

क्षेत्र के आधार पर सम्पूर्ण राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो निम्नानुसार है :-

(१) जयपुर-अजमेर क्षेत्र

इस क्षेत्र में संयुक्त निदेशक पुरुष तथा महिला के पद उपलब्ध है। इनका दोनों कार्यालय जयपुर में स्थित है।

(२) जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र

इसमें उपनिदेशक (महिला एवं पुरुष) को समस्त उत्तरदायित्व

सौंपा गया है ।

(३) उदयपुर- कोटा क्षेत्र

इसमें भी उपनिदेशक(पुरूष एवं महिला) तथा संयुक्त निदेशक को प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है ।

(ग) जिला स्तरिय प्रशासन

प्रत्येक जिले में एक-एक पद जिला शिक्षा अधिकारी का उपलब्ध है । वे अपने-अपने जिले में समस्त प्रकार के शैक्षणिक विकास का कार्य करते हैं । ये अधिकारी शैक्षणिक संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं तथा समय-समय पर उक्त सूचनाएं शिक्षा निदेशक को भेजते रहते हैं । साथ ही संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी निवारण करते हैं तथा सुचारू रूप से प्रशासन का कार्य करते हैं । जयपुर जिले के अतिरिक्त कार्यभार को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है । ब्यावर, सवाई माधोपुर, फतेहपुर और राजसमन्द, अनूपगढ़ उप जिलों में एक-एक वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद रखा गया है ।

विशिष्ठ अभिकरण

शिक्षा विकास के उपरोक्त प्रशासनिक संगठन के अतिरिक्त राज्य में कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थाएं भी कार्यरत हैं जो शिक्षा के विकास एवं प्रसार में विशेष योगदान करती है । वे निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	मुख्यालय	अधिकारी
१-	राज्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन केन्द्र	उदयपुर	१- उपनिदेशक- १
			२- मनोवैज्ञानिक- १
			३- काउन्सलर - १
२-	राज्य शिक्षा संस्थान	उदयपुर	१- निदेशक १
			२- उपनिदेशक १
			३- उपनिदेशक(क०) १
			४- अनुसंधान अधिकारी १

		५- सहायक निदेशक	४
		६- सांख्यकी अधि०	१
३- राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान	उदयपुर	१- निदेशक	१
		२- वरिष्ठ व्याख्याता	२
		३- प्रावैधिक व्याख्याता	२
		४- व्याख्याता	४
		५- मूल्यांकन अधिकारी	१
		६- अनुसंधान अधिकारी	१
४- राज्य मूल्यांकन इकाई	उदयपुर	१- मूल्यांकन अधिकारी	१
		२- अनुसंधान अधिकारी	३
५- राज्य शिक्षा संस्थान (पत्राचार)	उदयपुर	१- उपनिदेशक	१
		२- सहायक निदेशक	५
६- राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मण्डल	जयपुर	१- सचिव	१
		२- शिक्षाधिकारी	२
७- अल्प भाषा	बीकानेर	१- शिक्षाधिकारी	१

आलोच्य वर्ष में महत्वपूर्ण प्रशासकीय परिवर्तन

१- अनिवार्य सेवा निवृत कर्मचारियों के मामलों पर राज्य सरकार द्वारा निर्मित पुनरावलोकन समिति से संबंधित अभिलेखों की जांच कर लगभग ५० प्रतिशत कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिए जाने की कार्यवाही की गई ।

२- निदेशालय के विभिन्न वर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रस्तावित नवीन वेतनमान में ३०० कर्मचारियों के वेतन निश्चीकरण किया गया ।

३- माह मई-जून १९७६ में कार्यालय सहायकों के पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया गया ।

४- २-३० जनवरी १९७७ को शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक सम्मेलन, बीकानेर में आयोजित किया गया जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये ।

५- राजस्थान सेवा नियम २४४(२) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर पुनर्विचार हेतु समिति का निर्माण एवं समिति के अभिलेखों पर कर्मचारियों को पुन: सेवामें लिया जाना ।

६- २५ वर्ष से कम योग्य सेवा वाले एवं ५० वर्ष की कम आयु के कर्मचारियों को पुन: सेवा में लिये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये ।

शैक्षणिक प्रगति

आलोच्य वर्ष में शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई जो निम्न प्रकार है :-

(अ) प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक

वर्ष १९७६-७७ में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं जो निम्न प्रकार है :-

१- ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की वृद्धि को देखते हुए ४०० तृतीय वेतन श्रृंखला के अतिरिक्त पद सृजित किये गये ।

२- इस वर्ष कुल ५१० नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिनमें से १० विद्यालय राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आते हैं ।

३- पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास तेज गति से हो सके इसके लिए पंचायत समितियों को शिक्षा कर लगाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए ८ लाख रूपये की स्वीकृति दी गई । तीन पंचायत समिति अपने स्तर से इससे दुगुना अधिक धन शिक्षा के विकास एवं भौतिक सुधार में लगा सके ।

४- २९० प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नत किया गया । इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में ४६ प्राथमिक विद्यालयों के भवनों तथा १२ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के आवास गृह के निर्माण की स्वीकृति दी गई ।

५- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाये गये । यूनिसेफ के सहयोग से विज्ञान

विषय को लागू करने का कार्यक्रम राजस्थान के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यापक रूप से प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु राज्य योजना बजट में रूपये १.८८ लाख का प्रावधान किया गया है। यूनिसेफ विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान, उदयपुर से ४५५ विज्ञान किट्स प्राप्त हुए जिनका वितरण विद्यालयों में किया गया। इसी योजना के अन्तर्गत ६६६ अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

६- पायलेट योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में जिले के चार प्राथमिक विद्यालयों एवं चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चयन करके उन्हें अनावर्तक धन प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को ५००) रूपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को २०००) रूपये आवंटित किये गये जिससे शाला में सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस योजना हेतु रूपये ५,४५,०००) की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के लिए ३ लाख रूपये की राशि उपकरण एवं साज-सज्जा के लिए और २ लाख रूपये की राशि भवन के लिए स्वीकृत की गई।

७- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधूरे भवनों के निर्माण के लिए और परिवर्तन तथा परिवर्द्धन के लिए १.७५ लाख की राशि विशेष रूप से स्वीकार की गई।

८- वर्ष १९७६-७७ में राज्य सरकार ने एस० टी० सी० पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्षीय संस्थागत कर दी गई। जिसके अनुसार वर्ष १९७६-७७ में २६ राजकीय एवं ४ प्राईवेट एस० टी० सी० संस्थाओं में छात्राध्यापकों को प्रवेश दिया गया। एस० टी० सी० द्विवर्षीय संस्थापित होने से इसके पाठ्यक्रम को [illegible] पुनर्गठित किया गया।

राज्य में इस अवधि में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय फूल रोड़, बीकानेर को हस्तकला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय में परिवर्तित किया गया तथा सेन्टर आफ लर्निंग स्क्यूसन के अन्तर्गत राजसमंद में एक पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय को आरंभ किया गया।

९- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष योजना तैयार की गई जिसके अन्तर्गत चार नये आश्रम विद्यालय प्रारंभ किये गये तथा इन विद्यालयों के लिए तीन लाख रूपये का प्रावधान किया गया ।

विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं

इस योजना हेतु सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर द्वारा संबंधित सभी जिलाओं में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच हेतु १.५० लाख स्वास्थ्य कार्ड संबंधित अधिकारियों को वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं । संबंधित सभी जिलाओं में यह कार्यक्रम चालू है ।

सन् १९७६-७७ में यूनिसेफ सहायता योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) में १,७७,६०० रूपये की विज्ञान विषयक पुस्तकें निर्धन छात्रों को निःशुल्क आवंटित की गई थी ।

(आ) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा

तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत किया गया जिसमें दो विद्यालय राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के हैं ।

वर्ष १९७५-७६ में जो १६७ माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे उनमें इस वर्ष १० वीं कक्षा प्रारम्भ होने के कारण ३३४ द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, १६७ कनिष्ठ लिपिक और १६७ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किये गये ।

जिला पुस्तकालयों के १० कालिक माध्यमिक विद्यालयों को जिनमें पूर्व में कक्षा दसवीं चल रही थी उन सभी विषयों के साथ उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्नत किया गया ।

माध्यमिक । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ५५ ऐच्छिक विषय खोले गये उनमें आवश्यक पदों का सृजन भी किया गया ।

माध्यमिक ।उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, साज-सामान एवं उपकरण हेतु रूपये ३.७० लाख का प्रावधान रखा गया जिससे आवश्यकतानुसार विद्यालयों को सुसज्जित किया जा सके । इसके अतिरिक्त भवनों के परिवर्तन एवं परिवर्धन के लिए १८ लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

पायलेट योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले से एक माध्यमिक एवं एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन करके उसको उन्नत करने हेतु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को ५०००) रु० एवं प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय को ७०००) रु० आवंटित किये गये ।

गुरूनानक भवन, जयपुर को विभाग के अधीन लिया जाकर उसके लिए पदों एवं साज-सज्जा की स्वीकृति कराई गई ।

छात्रों में अपना रोजगार स्वयं चलाने की क्षमता हो तथा शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की दृष्टि से इस वर्ष ८ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ३ गैर अभियांत्रिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये गये तथा पौलिटैक्नीक जोधपुर व कोटा तथा आई० टी० आई० जयपुर में ३ अभियांत्रिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये गये ।

इस वर्ष आयोजना बजट में ५.०० लाख रूपये कार्यानुभव के लिए स्वीकृत किये गये । यह धनराशि १२०२ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उनकी छात्र संख्या के अनुसार यंत्र एवं उपकरण खरीदने के लिए आवंटित की गई ।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार १९७६-७७

इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान के तीन अध्यापकों को दिया गया जिनमें से दो अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के तथा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक है ।

राज्य शिक्षण पुरस्कार हेतु जिला समितियों द्वारा अभिशंसित १५८ शिक्षकों में से ३० शिक्षकों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया है ।

छात्रवृत्तियाँ

(१) राजस्थान के प्रतिभाशाली छात्रों को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में अधिक से अधिक स्थान प्राप्त हो सकें इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष राजस्थान के ५२ छात्र अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में चयनित हुए ।

(२) ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृति देकर अधिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयों में अध्ययन करने की सुविधा देने की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ४५४ विद्यार्थियों को नवीन छात्रवृतियां दी गई तथा पुरानी छात्रवृतियों का नवीनीकरण किया गया ।

(३) भारत सरकार द्वारा अल्प आय वर्ग के ११-१२ वर्ष के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर पब्लिक स्कूलों में अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष ५०० छात्रवृतियां प्रदान की जाती है । विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता के लिए विशेष प्रयास किये गये जिसके परिणाम-स्वरूप राजस्थान के २० विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष चयनित हुए है ।

(४) भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज के अन्तर्गत १०-१४ वर्ष के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रति वर्ष ७५ छात्रवृतियां दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष राजस्थान के ३ विद्यार्थियों को छात्रवृति दी गई है ।

(५) अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों में अध्ययन करने के लिए इस वर्ष २६ नवीन छात्रवृतियां प्रदान की गई है तथा ३७ पुरानी छात्रवृतियों का नवीनीकरण किया गया है ।

(६) इस वर्ष ११६ विद्यार्थियों को संस्कृत छात्रवृति, राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को १०० छात्रवृतियां भारत-चीन एवं भारत-पाक युद्ध के सैनिकों के बच्चों को ६० छात्रवृतियां ३००० विद्यार्थियों को अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति एवं मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को १००० छात्रवृतियां दी जा रही है ।

(७) अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी जाति तथा घुम्मकड़ जाति के कक्षा ६ से १२ तक प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृति दी जाती है । इस वर्ष कक्षा ६ से कक्षा ८ तक की छात्रवृति की दर ५-०० रूपये से बढ़ाकर १०-०० रू० प्रतिमाह कर दी गई है ।

व्यावसायिक शिक्षा

छात्रों में अपना रोजगार स्वयं चलाने की क्षमता एवं शिक्षा को व्यावसायोन्मुखी बनाने की दृष्टि से इस वर्ष ८ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ३ गैर अभियांत्रिकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये गये तथा पॉलीटेक्निक, जोधपुर व कोटा तथा आई० टी० आई० जयपुर में ३ अभियांत्रिकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये गये हैं।

१०+२ नवीन शिक्षा योजना के क्रियान्वित की तैयारी

(क) जुलाई १९७६ से विज्ञान के विषय को सशक्त करने के लिए कक्षा ९ व १० में १/- रूपया प्रतिमाह प्रति छात्र सामान्य विज्ञान शिक्षा शुल्क छात्रकोष के अन्तर्गत लिया गया है। इस शुल्क से जो धनराशि प्राप्त होगी, वह विज्ञान के प्रायोगिक कार्य के लिए उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय करने में की जावेगी।

(ख) इस वर्ष आयोजना बजट में १०,०० लाख रूपये विज्ञान शिक्षण को सशक्त बनाने के लिए स्वीकृत किये गये हैं। नवीन शिक्षा योजना के विज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार इस धनराशि से आवश्यक विज्ञान सामग्री ७३४ गैर विज्ञान राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्रीय खरीद के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ग) विद्यालयों में कार्यानुभव योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए जुलाई १९७६ से कक्षा ६ से कक्षा ८ तक ७५ पैसा एवं कक्षा ९ व १० में १-०० रू० प्रतिमाह प्रति छात्र कार्यानुभव शुल्क छात्र कोष के अन्तर्गत लगाया गया है। इस शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग कार्यानुभव के लिए उपकरण, साज-सामान एवं कच्चे माल की खरीद के लिए किया जावेगा।

(घ) इस वर्ष आयोजना बजट में ५,०० लाख रूपये कार्यानुभव के लिए स्वीकृत किये गये। ये धनराशि १२०२ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उनकी छात्र संख्या के अनुसार यंत्र एवं उपकरण खरीदने के लिए आवंटित की गई है।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर में १० वर्षीय सामान्य शिक्षा के लिए कक्षा ९ व १० का नया पाठ्यक्रम बना लिया है। इस पाठ्यक्रम

के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। कक्षा १ से कक्षा ८ तक का नया पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा बनाया जा रहा है।

(च) शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व एस० सी० ई० आर० टी० के संयुक्त तत्वाधान में मई, जून, अक्टूबर एवं दिसम्बर १९७६ में नवीन शिक्षा प्रणाली की सफल क्रियान्विति हेतु सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये। इन शिविरों में ६४५ विज्ञान के अध्यापकों, १०३७ सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों एवं ४६६ कार्यानुभव के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के द्वारा पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग के ६०० अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना भी क्रियान्वित की गई।

(छ) क्रियान्वित अवकाश

ग्रीष्मावकाश में विद्यालय भवन, उपकरण, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेल के मैदानों को विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से यह योजना विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत "सीखो-कमाओ" कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग कार्य, विभिन्न विषयों के लिए अतिरिक्त शिक्षण एवं उपचारात्मक कक्षाएं, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण तथा वाचनालय एवं पुस्तकालय के अधिकतम उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किये गये। अनुभवों के आधार पर इस योजना को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

बुक बैंक

आलोच्य वर्ष में राजस्थान में उच्च माध्यमिक ४६४, माध्यमिक १०३४, उच्च प्राथमिक विद्यालय ५४३६, प्राथमिक विद्यालय शहरी २३३१ एवं ग्रामीण १६८६२ विद्यालय हैं अर्थात् कुल मिलाकर राजस्थान में २६१८७ विद्यालय हैं जिनमें से २४४८६ विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की गई। इन विद्यालयों में कुल २३०६३५६ पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। इस व्यवस्था से ७,७९१,७९९ छात्र लाभान्वित हुए। अनुसूचित जाति के १,२३,४६३ एवं जनजाति

के ८५,०५७ छात्रों को इस व्यवस्था से लाभ मिला । बुक बैंकों में उपलब्ध पुस्तकों की कीमत रूपया ४७१५५ १६।- रूपये है ।

नियंत्रित मूल्यों पर किताबों तथा स्टेशनरी का वितरण

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर से प्राप्त माह जनवरी, १९७७ तक की सूचना के अनुसार टैक्स बुक डिपो की संख्या २८ है, उपभोक्ता एवं विद्यालय सहकारी भण्डारों की संख्या ३७८ एवं अन्य मंजीकृत वितरण केन्द्रों की संख्या १०६६ है । पाठ्य पुस्तकों की अनुमानित ग्रॉस बिक्री रूपया १,०५,२६,७२४।- रूपये हुई है ।

इसी प्रकार कापियों के निर्माता एवं वितरकों की संख्या ७० है । स्टेशनरी हेतु महाविद्यालयों एवं विद्यालय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की संख्या ६१ है । मंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं एवं स्टेशनरी के अन्य वितरकों की संख्या ११४८ है । स्टेशनरी की अनुमानित ग्रॉस बिक्री रूपया १,५०,३६,२४१।- है ।

प्रकाशन कार्य

शिक्षा विभाग तुलनात्मक रूप से एक बड़ा विभाग है । इसकी श्रृंखलाबद्ध इकाइयां दूर-दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है । अत: सम्पर्क रूप में और प्रशासन संबंधी कार्य में सहयोग प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है । इन प्रकाशनों में विभागीय आदेश तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय और विभागीय सूचनाओं के साथ-साथ शैक्षणिक ज्ञानवर्द्धक सामग्री को स्थान दिया जाता है । ये पत्रिकाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है । ये पत्रिकाएं इतनी ही मान्य है जैसे अन्य राजकीय आदेश । अत: संचार के माध्यम के संदर्भ में इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकाशन निम्नवत् रहे -

(१) शिविरा पत्रिका	मासिक
(२) नया शिक्षक	त्रैमासिक
(३) शिक्षक दिवस प्रकाशन	समय अनुसार

इस वर्ष शिविरा पत्रिका के ग्राहकों में १००० की वृद्धि हुई । पत्रिका के स्टेप में गुणात्मक सुधार लाने का निरंतर प्रयास चल रहा है । शिविरा पत्रिका के निम्नांकित विशेषांक निकाले गये -

(१) अनौपचारिक शिक्षा

(२) पुस्तकें और पुस्तकालय

(३) क्रियाशील अवकाश

नया शिक्षक यथावद् समय पर प्रकाशित हुआ । नया शिक्षक निम्नलिखित विशेषांक निकाले गये -

(१) अनौपचारिक शिक्षा

(२) For fresh Air

शिक्षक दिवस प्रकाशन ७६ के अन्तर्गत निम्नांकित पांच पुस्तकें प्रकाशित की गई -

(१) बरगद की छाया (कहानी संग्रह)

(२) माध्यम (निबंध संग्रह)

(३) इस बार (कविता संग्रह)

(४) संकल्प स्वरों के (कविता संग्रह)

(५) चेहरों के बीच (कहानी संग्रह)

खेलकूद

शिक्षा विभाग ने पूर्ण सत्र प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नये केन्द्र चालू किये गये -

(१) रा० उ० माध्य० विद्यालय, नागौर	फुटबाल (छात्र)
(२) रा० उ० माध्य० विद्यालय, भीलवाड़ा	वालीबाल (छात्र)
(३) रा० महारानी बा०उ०मा०वि०, बनी पार्क, जयपुर	वालीबाल (छात्रा)
(४) रा० बालिका उ०मा०वि०भरतपुर	हाकी (छात्रा)
(५) रा०बालिका उ०मा०वि० बीकानेर	बास्केटबाल (छात्रा)
(६) रा०उ०मा०वि० तोपदड़ा अजमेर	बास्केट बाल
(७) रा०उ०मा०वि० भीम मण्डी कोटा	हाकी (छात्र)
(८) रा०उ०मा०वि० झूंझनूं	कबड्डी व कुस्ती (छात्र)
(९) रा० उ०मा०वि० राजगढ़ (चूरू)	एथलेटिक्स (छात्र).

इन केन्द्रों को चलाने के लिए राज्य सरकार से छः केन्द्रों के लिए ११६००-०० रु० प्रति केन्द्र के हिसाब से तथा तीन केन्द्रों के लिए ११६३०-०० रु० प्रति केन्द्र के हिसाब से कुल १०२६९०-०० रु० की राशि बजट में स्वीकृत है।

शिक्षा विभाग ने (१) जयपुर (२) अजमेर (३) उदयपुर (४) कोटा (५) बीकानेर (६) जोधपुर एवं (७) श्री गंगानगर आदि सात स्थानों पर शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र चालू किये हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर स्टेडियम में एक अतिरिक्त क्रीड़ा संगम केन्द्र चालू किया गया है।

२२वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता (जूनियर मीट) १९७६-७७ भाग प्रथम धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित हुई थी। उसमें राजस्थान के छात्र दल ने बास्केटबाल में रजत पदक तथा वालीबाल में कांस्य पदक प्राप्त किया।

२२वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता (शीतकालीन) १९७६-७७ वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में आयोजित हुई थी। इसमें राजस्थान ने निम्नांकित उपलब्धियां अर्जित की थी -

(१) हाकी (छात्रा) — प्रथम स्थान

(२) हाकी (छात्र) — चतुर्थ स्थान

(३) एथलेटिक्स (छात्र)

हैमर थ्रो	प्रथम
हाई जम्प	प्रथम
बाधा दौड़ १०० मीटर	द्वितीय
पोलवाल्ट	द्वितीय
४०० मीटर दौड़	तृतीय
तश्तरी फैंक	तृतीय

पूर्ण सत्र प्रशिक्षण केन्द्र की योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९७६-७७ के लिए १.१० लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। इसी प्रकार खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्र।छात्राओं को क्रम से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल ३२००० रु० की राशि राज्य सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत की गई। इसमें से

६६ छात्र। छात्राओं को २८८००-०० रु० छात्रवृति के रूप में स्वीकृत किये गये ।

राज्य सरकार के आदेशानुसार ५२६ एस० डी० एस० आई० अनुदेशकों को दिनांक १-३-७३ से राज्यधीन किया गया । इनमें से ५२७ कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण प्रकरण राज्य वेतन श्रृंखला में वित्त द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं ।

विविध कार्य

(१) राज्य शोध प्रकोष्ठ द्वारा अपने छोटे से काल में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं । राजस्थान में शिक्षा अनुसंधान से प्राप्तियां एवं संभावनाऐं (एक सर्वेक्षण) राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर प्रकाशित किया गया । इस वर्ष शोधकर्त्ताओं को विभागीय समस्याओं पर कार्य करने को प्रेरित करने हेतु मण्डल स्तर पर शोध प्रकोष्ठ द्वारा दो कार्यगोष्ठियां आयोजित की गई । जिनमें कुछ आकल्प निर्मित किये गये थे । इनमें से आकल्पों के लिए सभी समीक्षोपरान्त अनुमोदन कर कार्यारंभ करने के निर्देश प्रदान किये गये । अनुमोदित शोध प्रायोजनाओं पर अप्रैल ७७ के अन्त तक कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

(२) राष्ट्र के विकास योजनाओं में अल्प बचत का स्थान महत्वपूर्ण है । छोटी-छोटी राशियां मिल कर विस्तृत रूप ले लेती है । अतः इस हेतु इसे प्रोत्साहन देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों, शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क स्थापित करने के साथ-साथ कार्य को बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन किया गया । राज्य की समस्त उ० मा० एवं माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु संचयिका योजना चलाई जाती है । जिसमें प्रथम तीन स्थानों को जिला शिक्षा स्तर व राज्य स्तर पर पुरस्कार दिये जाते हैं । पुरस्कार की राशि निदेशक अल्प बचत राजस्थान जयपुर द्वारा स्वीकृत की जाती है । इस वर्ष निम्न प्रकार राशि जमा हुई -

अल्प बचत	४१६६२१६-००
संचयिका	१३३०८५६-०० (८८३ संस्थाओं द्वारा)

(३) समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थ शिविरों का आयोजन किया जाता है । इन शिविरों में शिक्षकों को अपने विषय में विशेष प्रशिक्षण

(४) शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विद्यालयों विशेष संस्थाओं । छात्रावासों को अनुदान दिया जाता है । साथ ही निदेशालय द्वारा भी इन संस्थाओं को सहायता के रूप में अनुदान दिया जा रहा है ताकि राजकीय विद्यालयों के समानान्तर ये संस्थाएं भी अपना योगदान दे सकें । वर्तमान में १००५ संस्थाएं अनुदान प्राप्त कर रही हैं ।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए १९६३ में बने नियमों में संशोधन के लिए एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप से दे दी है ।

बजट अनुमान	राशि (लाखों में)
(१) २७७ शिक्षा-बजट	
(अ) गैर सरकारी उ०प्रा० छात्र विद्यालय	४७.५०
(ब) गैर सरकारी उ०प्रा० छात्रा विद्यालय	२३.२५
(स) गैर सरकारी प्राथमिक छात्र विद्यालय	३६.५०
(द) गैर सरकारी प्राथमिक छात्रा विद्यालय	१९.६५
(य) गैर सरकारी विशिष्ट विद्यालय	२३.८०
योग	१५०.५८
(२) २७७ माध्यमिक	
(अ) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय	१५४.२८
(आ) विश्वविद्यालय तथा अन्य गैर सरकारी महाविद्यालय	८.७०
२७८ शिक्षा कला और संस्कृति	
(१) कला और संस्कृति को प्रोत्साहन (२) भारत लोक कला मण्डल को प्रोत्साहन	१.७०
सार्वजनिक पुस्तकालय	१.२५

शिक्षा बजट

[illegible] आयोजना विश्लेषण बजट के परिप्रेक्ष्य में सुगमता से किया

जा सकता है । शिक्षा बजट में प्रतिवर्ष की वृद्धि का स्वरूप इस बात की ओर संकेत देता है कि राज्य में शिक्षा का विस्तार द्रुतगति से हो रहा है । राज्य सरकार इस क्षेत्र में जागरूक है । इस सत्र में शिक्षा का बजट प्रावधान निम्नवत् रहा -

(लाखों में)

	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक बजट
	१९७५-७६	१९७६-७७	१९७६-७७	१९७६-७७
आयोजनागत	६१३८-५८	६४९५-३४	६७५२-१४	६४७३-३९
योजनागत	५४७-३४	७३६-६३	८३६-३७	८१७-२८
आय (प्राप्तियां)	४१४-९५	११९-१५	२३३-८१	१८०-०३

अन्त में इस सत्र में उपरोक्त उपलब्धियां प्राप्त की गई है और जो प्रयास किया जा रहा है वह अनुशासन के धरातल पर और कठोर परिश्रम का सुपरिणाम है । अत: यह आशा की जाती है कि आगामी सत्रों में शिक्षा क्षेत्र में निरन्तर उन्नति वृद्धि प्राप्त हो सकेगी और इस क्षेत्र में और अधिक बहुमुखी विकास की आशाएं प्रबल हैं ।

000000000
0000000
00000
000
0

NIEPA DC
D01871

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
-110016
DOC. No. 1871
Date 26-11-84